मुख्यमंत्री भजनलाल ने हनुमानजी की पूजा-अर्चना की

जयपुर, 12 अप्रेल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को हनुमान जयन्ती के अवसर पर गोविन्दपुरी, स्वेज फार्म स्थित श्री सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर में सिद्धेश्वर हनुमानजी के दर्शन कर विधिवत् पूजा-अर्चना की तथा

■ हनुमान जयंती के अवसर पर उन्होंने स्वेज फार्म स्थित श्री सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर में प्रदेश की सुख-समृद्धि के लिए कामना की।

प्रदेश की सुख समृद्धि एवं आमजन के कल्याण की कामना की। उन्होंने मंदिर परिसर में श्री राधा-कृष्ण विग्रह के दर्शन भी किए। इस अवसर पर विधायक पुष्पेन्द्र सिंह, मंदिर महन्त अवधेशाचार्य महाराज सहित बड़ी संख्या में भक्तगण उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हनुमान जयंती के अवसर पर गोविन्दपुरी, स्वेज फार्म में सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने मंदिर परिसर में श्री राधा-कृष्ण विग्रह के दर्शन भी किए।

देर शाम बारिश ने जयपुर को गर्मी से थोड़ी राहत दी

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर, 12 अप्रैल। पश्चिमी विक्षोभ के चलते राजस्थान के मौसम में बदलाव आया है। शुक्रवार रात के बाद शनिवार शाम को भी मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश हुई। इस बारिश ने गर्मी से हाल-बेहाल हो रहे लोगों को थोड़ी राहत दी है। मौमस विभाग ने भी जयपुर, भरतपुर, अजमेर और कोटा संभाग में कुछ जगहों पर तेज मेघगर्जन और आंधी के साथ बारिश होने तथा जोधपुर व बीकानेर संभाग में भी छुटपुट स्थानों हल्की बारिश की संभावना जताई थी।

गौरतलब है कि इस बार अप्रैल माह की शुरूआत के साथ ही प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर बढ़ गया है, तापमान प्रतिदिन 40-41 डिग्री से ज्यादा दर्ज हो रहा है। पिछले करीब एक सप्ताह में प्रदेश के तापमान में अचानक आये बदलाव के कारण लोगों में चिंताजनक माहौल बना हुआ था। इसी बीच पिछले

■ मौसम विभाग ने जयपुर, भरतपुर, अजमेर व कोटा संभाग में आँधी व बारिश की संभावना जताई है।

2-3 दिनों से तेज अंधड़ के साथ मौसम में बदलाव और बारिश के आसार बन रहे थे। शुक्रवार रात को और कुछ जगहों पर शनिवार को हल्की बूंदाबांदी हुई।

मौसम विभाग ने 13 अप्रैल से ज्यादातर हिस्सों में मौसम मुख्यत: शुष्क रहने और तापमान में 2-3 डिग्री बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है। इसके साथ ही 14-15 अप्रैल से दक्षिण-पश्चिमी राजस्थान में फिर से अधिकतम तापमान 45 डिग्री दर्ज होने के साथ ही, हीटवेव की चेतावनी भी दी है।

तहव्वुर के प्रत्यर्पण के श्रेय की होड़ पर कांग्रेस हमलावर

नयी दिल्ली, 12 अप्रैल। कांग्रेस ने कहा है कि तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण का श्रेय लेने की होड़ में शामिल लोगों को यह भी बताना चाहिए कि दाऊद इब्राहिम तथा अन्य आतंकवादियों का प्रत्यर्पण नहीं हो पाने का जिम्मेदार कौन है।

पार्टी ने कहा कि भले ही

■ कांग्रेस प्रवक्ता ने पूछा, तहव्वुर के प्रत्यर्पण का श्रेय लेने वाले क्या दाऊद, हैडली कोलमैन और विजय माल्या के प्रत्यर्पण में मिली असफलता का भी श्रेय लेंगे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनकी सरकार को तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण का श्रेय दिया जा रहा है और श्रेय लेने की होड़ मची है, लेकिन सच यह है कि यह लंबी प्रक्रिया का हिस्सा है और यू.पी.ए. सरकार ने ना केवल इसकी शुरुआत की थी बल्कि इसमें तेजी भी ला दी थी। अब मोदी को इसका श्रेय देने वालों को यह भी बताना चाहिए कि दाऊद इब्राहिम, डेविड हैडली, विजय माल्या आदि का प्रत्यर्पण नहीं हो पाने की जिम्मेदारी किसे दी जानी चाहिए।

टैरिफ पर ट्रंप ने एक और यू टर्न लिया

ट्रंप ने मोबाइल फोन, कम्प्यूटर और चिप्स को ''रैसिप्रोकल टैरिफ'' से छूट दी है

वॉशिंगटन, 12 अप्रैल। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने टैरिफ को लेकर शुक्रवार को बड़ा फैसला लेते हुए एक और यू टर्न लिया।

ट्रंप ने स्मार्टफोन, कंप्यूटर, चिप्स आदि इलेक्ट्रॉनिक्स को रेसिप्रोकल टैरिफ से छूट दी है। इससे पहले वे टैरिफ नीति के क्रियान्वयन को 90 दिन आगे सरका चुके हैं। इस फैसले से अमेरिकी लोगों को राहत मिलेगी क्योंकि इन चीजों की कीमतें अब नहीं बढ़ेंगी। इसके अलावा इस फैसले से ऐपल और सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी जैसी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों को फायदा हो सकता है।

अमेरिका के कस्टम्स और बॉर्डर प्रोटेक्शन ने शुक्रवार देर रात कुछ चीजों को टैरिफ से छूट देने को लेकर एक नोटिस जारी किया। इसके मुताबिक, मोबाइल फोन, कंप्यूटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान को टैरिफ से छूट

■ इसके साथ ही सैमिकंडक्टर बनाने के काम आने वाली मशीनों को भी छूट दी है। इससे ताइवान सैमिकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी जैसी बड़ी कम्पनियों को लाभ होगा।

दी गई है। इसका मतलब यह है कि ट्रंप की ओर से चीन पर लगाए गए 125 फीसदी के टैरिफ और बाकी देशों पर लगाए गए 10 फीसदी के टैरिफ से अब कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान बाहर हो जाएंगे।

छूट जिन चीजों पर लागू होगी, उनमें स्मार्टफोन, लैपटॉप, हार्ड ड्राइव, कंप्यूटर प्रोसेसर और मेमोरी चिप्स शामिल हैं। ये सारी चीजें आमतौर पर अमेरिका में नहीं बनतीं। अगर इन्हें अमेरिका में बनाना शुरू भी किया जाए, तो उसमें कई साल लग सकते हैं। इसके अलावा ट्रंप के नए टैरिफ से उन मशीनों को भी छूट दी गई है जो सेमीकंडक्टर बनाने के काम में आती हैं। इस फैसले से ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जैसी कंपनियों को फायदा होगा, जो अमेरिका में बड़ा निवेश कर रही हैं। इससे चिप बनाने वाली दूसरी कंपनियों को भी राहत मिलेगी।

रेसिप्रोकल टैरिफ पर ट्रंप प्रशासन का यह पहला यू-टर्न नहीं है। इससे पहले ट्रंप ने 9 अप्रैल को एक बड़ा ऐलान करते हुए 90 दिनों के लिए भारत समेत दुनिया के ज्यादातर देशों पर लगाए गए टैरिफ को रोकने की घोषणा की थी। इन 90 दिनों के दौरान उन देशों पर 10 फीसदी ही रेसिप्रोकल टैरिफ लगेगा।

दिल्ली में युवा कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया

नयी दिल्ली, 12 अप्रैल। युवा कांग्रेस ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ शनिवार को यहां विरोध प्रदर्शन कर सरकार से सवाल किया कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिर रही हैं तो देश की जनता को क्यों लूटा जा रहा है।

युवा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आंकड़े बताते हैं कि देश में 100 करोड़ लोग आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं और हालात बद से बदतर

■ युवक कांग्रेस का प्रदर्शन पैट्रोल, डीज़ल व रसोई गैस के दाम बढ़ाने के खिलाफ था।

होने वाले हैं। जनता रो-रो कर जिए या महंगाई में दबकर मर जाए, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को इन सब से फर्क नहीं पड़ता। वे सिर्फ यही चाहते हैं कि उनके दोस्तों की तिजोरी लबालब भरी रहे।

उन्होंने कहा, मई 2014 के मुक़ाबले अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की क़ीमत में 41 प्रतिशत की गिरावट आई है, पर लुटेरी मोदी सरकार ने पेट्रोल-डीज़ल के दाम कम करने के बजाय, 2-2 रुपये बढ़ा दिये हैं।

लखनऊ में सरकारी जमीन पर अम्बेडकर की मूर्ति लगाने से हुआ विवाद

मूर्ति हटाने की अपील पर पुलिस पर पथराव किया लोगों ने

लखनऊ, 12 अप्रैल। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को सरकारी जमीन पर रखने को लेकर विवाद हो गया। बख्शी का तालाब इलाके के महिंगवा थाना क्षेत्र में अंबेडकर की मूर्ति को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीण पुलिस से भिड़ गए। इस दौरान ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। इसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। मौके पर मची अफरातफरी के दौरान कुछ महिलाएं भी बेसुध हो गईं। मौके पर तनाव की स्थिति के मद्देनजर भारी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। जानकारी के अनुसार, लखनऊ के खंतरी गांव में बिना अनुमति के ग्राम समाज की जमीन पर देर रात अंबेडकर की मूर्ति रख दी गई। इसके बाद पुलिस ने लोगों की समझाइश की और उन्हें बताया कि बिना अनुमति के मूर्ति नहीं लगाई जा सकती है। हालांकि, पुलिस द्वारा मूर्ति हटाने की बात कहने से लोग नाराज हो गए और उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। यह विरोध प्रदर्शन उग्र हो गया और कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। इसमें कुछ पुलिसकर्मियों के सिर पर पत्थर लगे हैं, जिसके कारण वे घायल हो गए। घायल पुलिसकर्मियों को अस्पताल ले जाया गया है। उग्र भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। इस दौरान कुछ महिलाएं बेसुध हो गई। पथराव और पुलिस द्वारा आंसू गैस के गोले दागे जाने के दौरान मौके पर अफरातफरी का माहौल हो गया। मूर्ति को लेकर शिकायत करने वालों का दावा है कि जहां मूर्ति रखी गई है, वो जगह पहले बाजार और शादियों के आयोजन स्थल के रूप में उपयोग होती थी।

सुखबीर सिंह बादल शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष बने

अमृतसर, 12 अप्रैल। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मुख्यालय तेजा सिंह समुंद्री हॉल में शनिवार को आयोजित पार्टी की प्रतिनिधि बैठक के दौरान सुखबीर सिंह बादल को सर्वसम्मति से शिरोमणि अकाली दल (शिअद) का अध्यक्ष चुना गया। वह चौथी बार इस पद के लिए चुने गए हैं।

पार्टी अध्यक्ष के चुनाव के लिए सुखबीर बादल का नाम कार्यकारी अध्यक्ष बलविंदर सिंह भूंदर ने प्रस्तावित किया और महेशिंदर सिंह ग्रेवाल और परमजीत सिंह सरना ने समर्थन किया। प्रतिनिधियों ने सत श्री अकाल के साथ हाथ उठाकर अपनी सहमति दी।

पहली बार सुप्रीम...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

राज्यपाल को उन विधेयकों पर उचित कार्यवाही न करने की अनुमति देता हो, जो उनके पास उनकी सम्मति के लिये भेजे गये हों, तथा राज्यपाल ने सम्मति देने में विलम्ब किया हो तथा राज्य के कानून-निर्माण-तंत्र का रास्ता अवरुद्ध हो गया हो।''

यह कहते हुये कि राज्यपाल को मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सहायता एवं सलाह को मानना चाहिये, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्यपाल को यह छूट नहीं है कि वे उनके पास दोबारा भेजे गये विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजने के लिये अपने पास आरिक्षत रूप में रखे रहें। ज्ञातव्य है कि राज्यपाल द्वारा लौटा दिये गये बिल को, विधानसभा में दोबारा राज्यपाल के पास भेज सकती है।

बैंच ने रजिस्ट्रार को निर्देश दिये कि इस निर्णय की एक-एक प्रति सभी उच्च न्यायालयों को तथा सभी राज्यों के राज्यपालों के प्रधान सचिवों को भेजी जाये।

सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा, ''राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह के विपरीत सहमति को रोकनी की स्थिति में, राज्यपाल को, तीन महीने की अधिकतम अवधि के अन्दर ही, जरूरी संदेश के साथ संबंधित विधेयक लौटाना होगा।''

विधेयक को पारित/स्वीकृत रूप में तमिलनाडु के राज्यपाल के समक्ष पुन: प्रस्तुत करने के लिये, शीर्ष अदालत ने अनुच्छेद 142 के तहत, अपने विशिष्ट एवं पूर्ण अधिकार को काम में लिया था।

वोट बैंक पर आधारित राजनीति...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

विपक्ष के नेता ने एक जनहित याचिका दायर की थी।

मालदा और मुर्शिदाबाद के मुस्लिम बहुल इलाकों में एक बार फिर वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में भीड़ हिंसक हो उठी। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि प्रदर्शनकारियों ने राज्य पुलिस पर हमला किया और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुँचाया।

पिछले हफ्ते भी कई पुलिस वाहनों को आग लगा दी गई और पुलिसकर्मियों पर हथियारबंद भीड़ ने हमला किया, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारी घायल हुए। बार-बार शांति बनाए रखने की अपीलें अनसुनी कर दी गईं।

यह स्थिति पिछले कुछ समय से सुलग रही थी और वक्फ विधेयक के विरोध में पिछले सप्ताह भी इसी तरह की घटनाएं हो चुकी थीं। तथापि, राज्य पुलिस ने, राजनीतिक आदेशों पर, इन घटनाओं को लेकर बेहद नरमी बरती।

नतीजा यह हुआ कि कानून तोड़ने वालों और हिंसा फैलाने वालों का हौसला बढ़ गया और वे और भी आक्रामक हो गए। वक्फ विधेयक को लेकर देश के अन्य हिस्सों में भी विरोध हुए हैं, लेकिन कहीं भी हालात इस कदर नहीं बिगड़े।

राज्य की पुलिस इन क्षेत्रों में फैली व्यापक हिंसा के लिए अब यह थ्योरी दे रही है कि अलग-अलग स्रोतों से भड़काने का काम हुआ है, जिनमें सोशल मीडिया की पोस्ट भी शामिल हैं। हालात इतने बेकाबू हो गए कि पुलिस को गोली चलानी पड़ी, जिसमें कुछ लोग घायल हुए हैं।

तथापि, अब राज्य पुलिस यह दावा कर रही है कि सभी लोग, इन सीमा क्षेत्रों में कानून व्यवस्था की निगरानी कर रहे बीएसएफ की गोलीबारी में घायल हुए हैं। बीएसएफ ने स्पष्ट रूप से इन आरोपों से इन्कार किया है और खुद को निर्दोष बताया है।

तथापि, और भी कई अफवाहें फैल रही हैं। इन सीमावर्ती क्षेत्रों में भारत और बाँग्लादेश के बीच बहुत आसानी से आवाजाही होती है। केन्द्रीय बलों और यहाँ तक कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा बार-बार की गई अपीलों के बावजूद, राज्य सरकार ने भारत-बाँग्लादेश सीमा पर 450 किलोमीटर तक बाड़ लगाने के लिए ज़मीन देने से इन्कार कर दिया है।

दोनों देशों के बीच बाकी की लंबी सीमा पर बाड़ लगाने का काम पूरा हो चुका है।

इन जगहों पर जब केन्द्रीय एजेंसियों ने बाड़ लगाने की तैयारी शुरु की थी, वहीं, तृणमूल कांग्रेस और उसके नेताओं ने विरोध करके ऐसी स्थिति पैदा की कि बाड़ का काम पूरी तरह से रोकना पड़ा।

हुमायूँ कबीर जैसे तृणमूल नेता लगातार बाड़ लगाने के खिलाफ रहे हैं और उन्होंने स्थानीय लोगों को हिंसक प्रदर्शन के लिए भड़काया, जिसे राज्य प्रशासन ने नज़रअंदाज़ किया।

यहाँ तक कि हुमायूँ कबीर ने हिंदू अल्पसंख्यकों पर हथियारों से हमले की धमकी भी दी थी। गत वर्ष भारत सेवाश्रम संघ के एक स्थानीय आश्रम से निकली शोभायात्रा पर कबीर और उसके साथियों ने हमला करके उसे रोक दिया था।

दुर्भाग्यवश, अल्पसंख्यकों के वोट बैंक को हासिल करने के लिए ममता बनर्जी ने इन हमलों और हिंसा को नज़रअंदाज़ किया। इस बार भी, उपद्रवियों की आगजनी और तोड़फोड़ पर उन्होंने चुप्पी साधे रखी।

तथापि, पुलिस बलों और उनकी संपत्तियों पर हो रहे हमलों के कारण अब पुलिस प्रशासन को इस पर बयान देने के लिए मजबूर होना पड़ा है।

लगातार रियायतें देकर तथा कानून तोड़ने वालों की अनदेखी करके मुस्लिम वोटों को हासिल करने की ममता बनर्जी की रणनीति के कारण कानून तोड़ने वाले निडर हो गए हैं और उनका यह सोच हो गया है कि उन्हें कोई दंड नहीं दे सकता।

अदालती आदेश...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

का अवकाश स्वीकृति प्रार्थना पत्र पेश करने को कहा था, लेकिन अपीलार्थी ने उस पर कार्रवाई नहीं की। वहीं अपीलार्थी की सेवा पुस्तिका में इस अवधि की सेवा का सत्यापन नहीं है। ऐसे में उसे वेतन नहीं दिया गया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अधिकरण ने 6 जनवरी, 2023 को विभाग को आदेश जारी कर तीन माह में इस अवधि का बकाया वेतन का भुगतान करने को कहा था। इसके बावजूद भी विभाग की ओर से आदेश की पालना नहीं की गई। इस पर याचिकाकर्ता की ओर से अधिकरण में अवमानना याचिका दायर की गई, जिसे अधिकरण ने आगामी कार्रवाई के लिए हाईकोर्ट भेजा था।

ई.डी. ने सोनिया ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

में 5000 करोड़ रु. कीमत की एजेएल की सम्पत्तियाँ अधिगृहित कर ली थीं। ईडी ने आज एक बयान में कहा कि वह तीन स्थानों पर नोटिस पहले ही चस्पा कर चुकी है। ये तीन स्थान हैं- दिल्ली में हैरल्ड हाउस, मुम्बई के बान्द्रा इलाके में स्थित कार्यालय परिसर तथा लखनऊ के बिशेश्वर नाथ रोड पर स्थित एजेएल भवन। इन नोटिसों में दिल्ली और लखनऊ के परिसरों को खाली करने के लिये कहा गया है।

मुम्बई की बिल्डिंग के सम्बंध में, ईडी ने किराया ट्रान्सफर करने का विकल्प भी प्रस्तावित किया है।

यह कार्यवाही ''प्रिवैंशन ऑफ मनी लॉन्डरिंग एक्ट'' (पीएनएलए) की धारा 8 के नियम 5 (1) के तहत की गई है। यह नियम ईडी द्वारा अटैच्ड की गई सम्पत्तियों का कब्जा लेने की प्रक्रिया से सम्बंधित है।

'भाजपा व अन्नाद्रमुक...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

यह गठबंधन क्यों बना है। इसका क्या वैचारिक आधार है। द्रमुक नेता अन्नाद्रमुक से सवाल कर रहे हैं कि अन्नाद्रमुक नीट, त्रिभाषा फॉर्मूला के जरिए हिंदी थोपने और वक्फ कानून पर भाजपा के खिलाफ है तो क्या वे बताएंगे कि उनके कथित न्यूनतम साझा कार्यक्रम में इनमें से कोई मुद्दा है।''स्टालिन ने कहा कि अन्नाद्रमुक नेता पलानीस्वामी ने तमिलनाडु के आत्मसम्मान व अधिकारों को दिल्ली के समक्ष गिरवी रख दिया है। स्टालिन भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अन्नाद्रमुक की सनक तथा द्रमुक को भ्रष्ट करार देने के मुद्दे पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने अमित शाह का नाम लेकर कहा, हास्यास्पद बात है कि वे भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं और द्रमुक के साथ मंच साझा कर रहे हैं। स्टालिन ने कहा कि जयललिता को दो बार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सत्ता गंवानी पड़ी थी। आय से अधिक संपत्ति के मसले पर उन्हें चार साल की जेल हुई थी, क्या अन्नाद्रमुक के साथ गठबंधन के लिए ''भ्रष्टाचार'' जैसे शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अन्नाद्रमुक के प्रवक्ता कोवाई सत्यम ने कहा कि गठबंधन बनने से द्रमुक को हार का डर सता रहा है। उन्होंने कहा, ''यह एक महान गठबंधन की शुरुआत है, जो 2026 में विधानसभा चुनाव के बाद अन्नाद्रमुक नेता ई. पलानीस्वामी के नेतृत्व में सरकार बनाएगा। हार की संभावना देखकर व गठबंधन का आधार पूछ रहे है। हमारे विचार अलग है, इसीलिए हम दो अलग-अलग दल हैं। पर, हमारा एक कॉमन मिनीमम प्रोग्राम है। दो मुद्दे है, जिन पर फोकस किया गया है, पहला है, लोकतंत्र के नाम पर वंशवाद। द्रमुक के शासन में यही हो रहा है। तमिल जनता के कल्याण के लिए द्रमुक को सत्ता से हटाना होगा।''

सलेक्टिव मीडिया, कोटा के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी रोड, कोटा से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा आर.एन.आई. नं. 28446/75, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908